<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक 27.01.2017 को पारित किया गया)

- आरोपी जगदीश द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा
 मोटरयान अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।
- 2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में
120 00			कारावास
185 मोटरयान अधिनियम	न्यायालय उठने तक का	एक हजार रुपये	दस दिवस

3. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

सही / —
गोपेश गर्ग
जे.एम.एफ.सी गोहद जिला भिण्ड